संस्था कोड 212051

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

मान्यता प्रमाण – पत्र

डिप्लोमा इन एज्यूकेशन परीक्षा

(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8 (च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययाधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एतद् द्वारा शाला ..हो.ली. क्रास....ओ.शे. आर....पथलगांव......... जिला..जशपुर..........को **डिप्लोमा इन एज्यूकेशन (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)** के लिए हिन्दी/**अंग्रेजी माध्यम** में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सामान्य शर्तो पर..2022....से..2023....की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करता है -

* संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट क के रुप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णरूपेण (In letter and sprit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधानों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग.मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकती है।
* संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय- समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
* शाला/स्कूल/संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।
* शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
* शाला में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षो के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।
* संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में /संभागीय कार्यालय, बिलासपुर में प्रस्तुत करेगी।

  अ- संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था का ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और ना ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरुप और स्तर की हो।
* संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सृजनात्मक विकास मनोरंजन और खेलकूद के विकास लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।

  (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

  (ख) शैक्षिणेत्तर गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।
* विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथासमय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
* शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में/अनुचित साधनों के प्रयोग में लिप्त पाए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षो तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।
* माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161/2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पालीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।
* प्राचार्य इस प्रमाण - पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना :- यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि .2022...से..2023..के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षो के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी. एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

8/8/22

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

संस्था कोड 212051

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

सम्बद्धता प्रमाण - पत्र सशर्त

डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन

(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8(च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एतद् द्वारा शाला ....होली..क्रास..बी0टी0आई0 पत्थलगांव................................ जिला ....जशपुर............... को डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (द्वितीय पाठ्यक्रम) के लिए हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सामान्य शर्तो पर ....2024........ से ....2025........ की अवधि के लिए मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करता है -

- संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट क के रुप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णरुपेण (In letter and sprit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधनों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग. मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
- संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- शाला / स्कूल / संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी / निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
- शाला में नियमित रुप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षो के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में / संभागीय कार्यालय, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में प्रस्तुत करेगी।

  अ. संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था को ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरुप और स्तर की हो।
- संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सृजनात्मक विकास, मनोरंजन और खेलकूद के विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।

  (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

  (ख) शैक्षणेत्तर गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।
- विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथा समय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
- शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में / अनुचित साधनों के प्रयोग मे लिप्त पाये जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षो तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161 / 2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पॉलीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।
- प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना - यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि ......2024............ से ....2025...... के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षो के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी.एल.एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

26/12/24

सहायक सचिव (मान्यता)
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

संस्था कोड 212051

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

मान्यता प्रमाण - पत्र

डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन

(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8(च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एतद् द्वारा शाला होली क्रास वी. टी. आई. पत्थलगांव जिला जशपुर को डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (द्वितीय पाठ्यक्रम) के लिए हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सामान्य शर्तो पर 2023 से 2024 की अवधि के लिए मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करता है -

- संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट क के रुप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णरुपेण (In letter and sprit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधनों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग. मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

- संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

- शाला / स्कूल / संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी / निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।

- शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।

- शाला में नियमित रुप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षो के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।

- संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में / संभागीय कार्यालय, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में प्रस्तुत करेगी।

  अ. संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था को ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरुप और स्तर की हो।

- संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सृजनात्मक विकास, मनोरंजन और खेलकूद के विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।

  (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

  (ख) शैक्षणेत्तर गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।

- विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथा समय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।

- शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में / अनुचित साधनों के प्रयोग मे लिप्त पाये जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षो तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।

- माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161 / 2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पॉलीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।

- प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना - यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि 2023 से 2024 के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षो के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी.एल.एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

2/5/23

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

संस्था कोड 2120SL

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

मान्यता वृद्धि मान्यता प्रमाण - पत्र सशर्त

डिप्लोमा इन एज्यूकेशन परीक्षा

(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8 (च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययाधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एतद् द्वारा शाला होली क्रास [illegible] पत्थलगांव जिला जशपुर को **डिप्लोमा इन एज्यूकेशन (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)** के लिए **हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम** में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सामान्य शर्तो पर 2020 से 2021 की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करता है -

- संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट क के रुप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णरूपेण (In letter and sprit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधानों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग.मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकती है।
- संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय- समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- शाला/स्कूल/संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
- शाला में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षो के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में /संभागीय कार्यालय, बिलासपुर में प्रस्तुत करेगी।

  अ- संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था का ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और ना ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरुप और स्तर की हो।
- संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सृजनात्मक विकास मनोरंजन और खेलकूद के विकास लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।
  - (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
  - (ख) शैक्षिणेत्तर गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।
- विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथासमय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
- शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में/अनुचित साधनों के प्रयोग में लिप्त पाए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षो तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161/2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पालीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।
- प्राचार्य इस प्रमाण - पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना :- यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि 2020 से 2021 के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षो के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी. एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

5/1/21

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

संस्था कोड 21205L

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

सशर्त मान्यता प्रमाण - पत्र मान्यता वृद्धि

डिप्लोमा इन एज्यूकेशन परीक्षा

(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8 (च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययाधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एतद् द्वारा शाला ..होली क्रास डी० टी० आई०... पत्थलगांव.... जिला...जशपुर..........की **डिप्लोमा इन एज्यूकेशन (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)** के लिए हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सामान्य शर्तों पर 2021.......से....2022....की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करता है -

- संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट क के रूप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णरूपेण (In letter and sprit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधानों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग.मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकती है।
- संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय- समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- शाला/स्कूल/संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
- शाला में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में /संभागीय कार्यालय, बिलासपुर में प्रस्तुत करेगी।

  अ- संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था का ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और ना ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरुप और स्तर की हो।
- संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सृजनात्मक विकास मनोरंजन और खेलकूद के विकास लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।

  (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

  (ख) शैक्षिणेत्तर गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।
- विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथासमय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
- शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में/अनुचित साधनों के प्रयोग में लिप्त पाए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षों तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161/2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पालीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।
- प्राचार्य इस प्रमाण - पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना :- यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि ..2021...से..2022.के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षों के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी. एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

21/8/21

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

F. NO. 1745 OF 2009 /41468

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१
1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110001

Dated.....

ON THE BASIS OF ADMITTED FACTS, THE COMMISSION IS SATISFIED THAT HOLY CROSS BASIC TRAINING INSTITUTE, PATHALGAON, DIST. JASHPUR, CHHATTISGARH, MANAGED BY THE SANTA CRUZ SISTERS ASSOCIATION, IS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 (g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT 2004. CONSEQUENTLY, IT IS HEREBY DECLARED THAT THE AFORESAID INSTITUTE IS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER ARTICLE 30 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 22ND DAY OF FEBRUARY 2010.

(R. RENGANATH)
SECRETARY

National Commission For Minority Educational Institutions * Delhi *

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
पश्चिम क्षेत्रीय समिति

NCTE

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Western Regional Committee

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA – PART-III, SECTION-IV

No/WRC/5-6/2k/ 9851 Date: 20 NOV 2000

ORDER

In exercise of the powers vested under section 14(3) (a) of the National Council for Teacher Education(NCTE) Act, 1993, the Western Regional Committee grants recognition to **Holly Cross Mahila Basic Training Institute, Pathalgaon, Raigarh** for **D.Ed.** course of **two year** duration from the academic session **2000-2001** with an annual intake of **70** students, subject to fulfilling the following conditions:

1. The institution shall appoint within a period of one year two additional teaching staff possessing the academic qualifications as laid down in the NCTE norms, the salary structure prescribed by the State Government as the case may be.
2. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
3. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
4. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating State Government.
5. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
6. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating examining body.
7. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
8. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
9. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal Report should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated at 1 to 8 above.

P.T.O.

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002 Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462 002
दूरभाष/Phone: 660912, 739672 फैक्स/Fax :0755-660912 E-mail nctebhpl@bom6.vsnl.net.in

If Holly Cross Mahila Basic Training Institute, Pathalgaon, Raigarh contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfil the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By order

Regional Director

Code- 2 1 2 0 5 1

The Manager,
Government of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines,
Delhi – 110054.

C.C.

1. Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi.
2. Principal Secretary (School Education), Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhawan, Bhopal.
3. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, New Delhi – 110 016.
4. The Director, SCERT, M.P., Bhopal.
5. The Principal, Holly Cross Mahila Basic Training Institute, Pathalgaon, Raigarh.

Regional Director

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
पश्चिम क्षेत्रीय समिति

NCTE

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Western Regional Committee

45908
16/6/98

No.WRC/5-6/96/ 3138 Date: 8 JUN 1998

Order

In exercise of the authority vested under Section 14(3)(a) of the National Council for Teacher Education Act, the Western Regional Committee grants provisional recognition to **Holy cross Basic Training Institute, Pathalgaon** for the following courses –

S.No.	Course	Intake	Period
1.	D.Ed.	70	Provisional recognition upto 1998-99

The institution does not fulfil the requirements for recognition laid down in the regulations notified in accordance with the provisions of the NCTE Act, 1993 and therefore the Committee further lays down conditions which are to be complied with as follows–

1. Library be strengthened.
2. Mathematics lecturer be appointed.
3. Staff be appointed as per NCTE norms.
4. Admission be given as per NCTE norms.

The institution is advised to send a compliance report upto July 15, 1998 as to the removal of deficiencies so that a new team may be sent to verify the same.

By order

Regional Director

Code- | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |

CC:

The Principal, Holy cross Basic Training Institute, P.O. Pathalgaon, Pathalgaon 496 118, Dist. Raigarh

The Director, SCERT, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002 Manash Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462 002
दूरभाष/ Phone : 530912, 739672 फैक्स/Fax 0755-530912 E-mail dir @ ncl bpl.mp.nic.in